रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012020-215601
CG-DL-E-20012020-215601

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
No. 257] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

विषयः सरकारी खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017-औद्योगिक बॉयलरों (वाष्प उत्पादकों) के विनिर्माण हेतु गुड्स/सेवाओं में न्यूनतम स्थानीय सामग्री को अधिसूचना करना।

का.आ. 268(अ).—'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय एवं रोजगार बढ़ाने के प्रयोजन से भारत में सामग्री एवं सेवा के विनिर्माण एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की दिनांक 28.05.2018 की अधिसूचना सं. 45021/2/2017-पीपी (बी.ई. II) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि सभी सार्वजनिक खरीद संस्थाओं द्वारा घरेलू विनिर्मित औद्योगिक बॉयलरों (वाष्प उत्पादकों) को प्राथमिकता दी जाएगी। यह उन विनिर्माण कंपनियों पर लागू होगा जिनमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी केन्द्र सरकार के पास है अथवा किसी एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास है और इसमें ऐसी कंपनी शामिल है जो सरकार की सहायक कंपनी है।

2. डीपीआईआईटी के उक्त आदेश के अनुपालन में वाष्प उत्पादकों/औद्योगिक बॉयलरों के विनिर्माण और सेवाओं से संबंधित वस्तुओं को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है।

क. औद्योगिक बॉयलरों (वाष्प उत्पादकों) में स्थानीय वस्तुओं के समावेश का लक्ष्य

क्र.सं.	मदें	वर्ष के लिए प्रस्तावित स्थानीय सामग्री का प्रतिशत			
	औद्योगिक बॉयलर / वाष्प उत्पादक	2020-22	2022-24	2024-26	2026-28
1.	100मिमी. (मोटाई) तक की बीक्यू इस्पात प्लेटें	60	70	80	90
2.	100मिमी. (मोटाई) से अधिक वाली बीक्यू इस्पात प्लेटें	10	20	30	40
3.	100 मिमी व्यास तक की सीवनहीन इस्पात पाइपें और नली	70	80	90	90
4.	100 मिमी. से अधिक व्यास वाली सीवनहीन इस्पात पाइपें और नली	10	20	30	40
5.	ईआरडब्ल्यू इस्पात पाइपें	80	90	95	95
6.	फॉर्जिंग(नोजल, फ्लैंज,एल्बो)	70	80	90	90
7.	आई बीम, एच बीम से बने ढांचे, चैनल, एंगल	70	80	90	90
8.	एफडी फैन , आईडी फैन	70	80	90	90
9.	फीड वाटर पम्प , पुनर्परिचालन पम्प	70	80	90	90
10.	सूट ब्लोअर	70	80	90	90
11.	सेफ्टी वाल्व, गेट वाल्व, ब्लोडाउन वाल्व	70	80	90	90
12.	लेवेल ट्रांसमीटर, तापमान ट्रांसमीटर, एक्चुएटर्स	70	80	90	90
13.	रिफ्रैक्टरी	70	80	90	90
14.	इन्सुलेशन	70	80	90	90
15.	वेल्डिंग तार और इलेक्ट्रोड्स (ग्रेड 91-92 निकेल आधारित को छोड़कर)	70	75	80	85

ख. वाष्प उत्पादकों/औद्योगिक बॉयलरों में स्थानीय सेवाओं के समावेश का लक्ष्य

क्र.सं.	सेवाएं	वर्ष के लिए स्थानीय सामग्री का प्रस्तावित प्रतिशत			
		2020-22	2022-24	2024-26	2026-28
1.	सर्वेक्षण, स्थल अध्ययन	80%	90%	100%	100%
2.	ईपीसी संविदाएं	60%	70%	80%	90%
3.	फैब्रिकेशन	80%	90%	100%	100%
4.	असैन्य(सिविल) निर्माण	80%	90%	100%	100%
5.	अन्य सेवा संविदाएं	80%	90%	100%	100%

3. अधिसूचना के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का भारी उद्योग विभाग नोडल एजेंसी होगा।

4. इस आदेश के कार्यान्वयन संबंधी शिकायतों पर निर्णय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा गठित समिति लेगी। शिकायत समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

1.	संयुक्त सचिव, प्रभारी—हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग प्रभाग, भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2.	कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	सदस्य
3.	अध्यक्ष, भारतीय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता संघ	सदस्य
4.	विकास अधिकारी, भारी उद्योग विभाग	सदस्य सचिव

5. डीपीआईआईटी अधिसूचना सं. 45021/2/2017-पीपी (बीई- II) दिनांक 28.05.2018 में रखी गई अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 16 (4)/2018-एचईआई-भाग(1)]

अरविंद कुमार, उप-सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, 16th January, 2020

Subject : Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 – notifying Minimum Local Content in Goods/Services for manufacturing of Industrial Boilers (Steam Generators).

S.O. 268(E).—In pursuance of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 notified vide the Department For Promotion Of Industry And Internal Trade(DPIIT) Notification No. 45021/2/2017-PP(B.E.II) dated 28.05.2018, to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and service in India to enhance income and employment, it has been decided that preference shall be given to domestically manufactured Industrial Boilers (Steam Generators) by all public procuring entities. This will be applicable to manufacturing companies in which not less than 51 % paid up capital is held by the Central Government, or by any one or more State Government and includes a company which is a subsidiary company of such a Government company.

2. In furtherance of the aforesaid order of DPIIT, the items associated with manufacturing and services of Steam Generators/Industrial Boilers are notified as under.

A. TARGET OF LOCAL CONTENT OF GOODS IN INDUSTRIAL BOILERS (STEAM GENERATORS)

S.No.	ITEMS	Proposed Percentage of Local Content for the year			
	Industrial Boilers/Steam Generators	2020-22	2022-24	2024-26	2026-28
1.	BQ Steel plates up to 100mm (thickness)	60	70	80	90
2.	BQ Steel plates above 100mm (thickness)	10	20	30	40
3.	Seamless Steel Pipes and tube up to 100mm dia	70	80	90	90
4.	Seamless Steel Pipes and tube above 100mm dia	10	20	30	40

5.	ERW Steel Pipes	80	90	95	95
6.	Forging(Nozzle, flange , Elbow)	70	80	90	90
7.	Structures made up of I beam, H beam, Channels, Angles	70	80	90	90
8.	FD Fan , ID Fan	70	80	90	90
9.	Feed water pump , Recirculation Pump	70	80	90	90
10.	Soot Blower	70	80	90	90
11.	Safety Valve, Gate Valve, Blowdown Valve	70	80	90	90
12.	Level Transmitter, Temperature Transmitter, Actuators	70	80	90	90
13.	Refractory	70	80	90	90
14.	Insulation	70	80	90	90
15.	Welding wire and Electrodes(except grade 91-92 nickel based)	70	75	80	85

B. TARGET OF LOCAL CONTENT OF SERVICES IN STEAM GENERATORS/ INDUSTRIAL BOILERS

S.No.	SERVICES	Proposed Percentage of Local Content for the year			
		2020-22	2022-24	2024-26	2026-28
1.	Survey, Site Studies	80%	90%	100%	100%
2.	EPC Contracts	60%	70%	80%	90%
3.	Fabrication	80%	90%	100%	100%
4.	Civil Construction	80%	90%	100%	100%
5.	Other Services Contracts	80%	90%	100%	100%

3. Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises shall be the Nodal agency to monitor implementation of the notification.

4. Decision on complaints relating to implementation of this order shall be taken by a committee constituted by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. The Composition of Grievance Committee will be as under:

1.	Joint Secretary I/C of Heavy Electrical Industries Division, DHI	Chairman
2.	Executive Director, Bharat Heavy Electricals Limited.	Member
3.	President, Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association	Member
4.	Development Officer, DHI	Member Secretary

5. All other conditions as laid down in DPIIT Notification No. 45021/2/2017-PP (BE-II) dated 28.05.2018, shall remain unchanged.

6. This issues with the approval of Competent Authority.

[F.No. 16(4)/2018-HEI-Part(1)]

ARVIND KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.20 19:48:49 +05'30'